

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ब्लॉक-सी0, सरदार पटेल भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना-800023
दूरभाष: 0612 2294201, 2294202(फैक्स), ई-मेल: secy-disastermgmt-bih@nic.in

पत्रांक-01/प्रा०आ०(COVID-19)-09/2020/1715/आ0प्र0 पटना-23, दिनांक-04.05.2021

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :-

कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के लिए दिनांक-04.05.2021 को राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों के आलोक में मजदूर, निर्धन, निराश्रित, निःशक्त आदि जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था हेतु सभी जिलों में चिन्हित स्थानों पर सामुदायिक रसोई स्थापित करने के संबंध में।

महाशय,

राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण में हो रहे फैलाव को नियंत्रित करने के लिए दिनांक-04.05.2021 को आपदा प्रबंधन समूह की सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-2835 दिनांक-04.05.2021 के द्वारा दिनांक-05.05.2021 से 15.05.2021 तक अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। उक्त प्रतिबंधों के दौरान जिलों में मजदूर, निर्धन, निराश्रित, निःशक्त आदि जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन की संभावित समस्या के मद्देनजर सभी जिलों के अन्तर्गत चिन्हित स्थानों पर सामुदायिक रसोई स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि दिनांक-05.05.2021 से 15.05.2021 तक अपने जिला अन्तर्गत चिन्हित स्थानों पर मजदूर, निर्धन, निराश्रित, निःशक्त आदि जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए सामुदायिक रसोई का संचालन प्रारम्भ किया जाए। सामुदायिक रसोई में प्रतिदिन दिन एवं रात के भोजन की व्यवस्था की जाएगी। सामुदायिक रसोई के संचालन में बिजली, पेयजल, साफ-सफाई, हैण्डवाश, सैनेटाइजर आदि की पर्याप्त व्यवस्था के साथ-साथ physical social distancing एवं अन्य सुरक्षा मानकों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। सामुदायिक रसोई स्थल पर सुरक्षा के समुचित प्रबंध हेतु पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

सामुदायिक रसोई संचालन से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन सलग्न प्रपत्र में प्रतिदिन पूर्वाह्न 11:00 तक विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

प्रधान सचिव

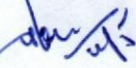
ज्ञापांक-01/प्रा०आ०(COVID-19)-09/2020/1715/आ0प्र0 पटना-23, दिनांक-04.05.2021

प्रतिलिपि:-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

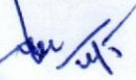
ज्ञापांक-01 / प्रा०आ०(COVID-19)-09 / 2020 / 1715 / आ०प्र० पटना-23, दिनांक-04.05.2021

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिदेशक, बिहार/सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव

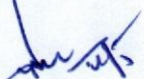
ज्ञापांक-01 / प्रा०आ०(COVID-19)-09 / 2020 / 1715 / आ०प्र० पटना-23, दिनांक-04.05.2021

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव

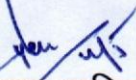
ज्ञापांक-01 / प्रा०आ०(COVID-19)-09 / 2020 / 1715 / आ०प्र० पटना-23, दिनांक-04.05.2021

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव

ज्ञापांक-01 / प्रा०आ०(COVID-19)-09 / 2020 / 1715 / आ०प्र० पटना-23, दिनांक-04.05.2021

प्रतिलिपि: माननीय उप मुख्य (आपदा प्रबंधन) मंत्री, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव



COVID-19: सामुदायिक रसोई से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन

जिला—

दिनांक—

क्र०	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	समुदायिक रसोई स्थल का नाम	केन्द्र प्रभारी का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नं०	भोजन करने वालों की संख्या			अभ्युक्ति
				दिन	रात	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8

